तत्काल

सं. एन-22/2/2021-पी एंड सी

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 21 अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में मार्च, 2022 माह के लिए मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश – के संबंध में।

****

अधोहस्ताक्षरी को इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में, उपभोक्ता मामलों के विभाग के संबंध में मार्च, 2022 माह के लिए मासिक सारांश (अनुलग्नक) के अवर्गीकृत भाग को सूचनार्थ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नक:यथोक्त

(सुरेन्द्र सिंह)

निदेशक, भारत सरकार

फोन नं. 2338 4390

प्रति संलग्नकों सहित, ई मेल के माध्यम से अग्रेषित

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. पीआईबी/सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उपराष्ट्रपति के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
5. सचिवगण, भारत सरकार। (सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

उपभोक्ता मामले विभाग

मार्च, 2022 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप

मार्च, 2022 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं।

1. **उपभोक्ता संरक्षण :**

1.1 माह के दौरान, असम में ई-दाखिल पोर्टल शुरू किया गया, इसके साथ ही, ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या 30+एनसीडीआरसी हो गई है।

1.2 मसौदा सीसीपीए (भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और विज्ञापन के समर्थन के लिए आवश्यक सावधानी) दिशानिर्देश, 2022 पर चर्चा करने के लिए 24 मार्च 2022 को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। कॉनफोनेट योजना की समीक्षा के लिए एनआईसी और एनआईसीएसआई के अधिकारियों के साथ 28 मार्च 2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी जो विभिन्न उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों को आईटी-सक्षम बनाने से संबंधित है।

2. **विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन:**

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15.03.2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मनाया गया। इस कार्यक्रम की थीम "फेयर डिजिटल फाइनेंस" थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री माननीय श्री पीयूष ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री; सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री; राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एनसीडीआरसी) के अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल; इंफोसिस के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष श्री नंदन नीलेकणि और राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों, राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों (वीसीओ) और अन्य हितधारकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

3. **मूल्य निगरानी:**

3.1 वर्ष 2022-23 के दौरान मुक्त श्रेणी के तहत अरहर और उड़द के आयात को आगे बढ़ाने संबंधी उपभोक्ता मामले विभाग (डोका) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इस आशय की अधिसूचना डीजीएफटी द्वारा 29 मार्च 2022 को जारी की गई।

3.2 पीएसएफ बफर के तहत दलहन और प्याज की खरीद/निपटान की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 28 मार्च 2022 को सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग (डोका) की अध्यक्षता में 54 वीं पीएसएफएमसी बैठक आयोजित की गई थी।

3.3 एग्रीवॉच (कृषि उत्पादों की निगरानी) के साथ पांच दालों (ग्राम, तूर, उड़द, मूंग और चना) और तीन सब्जियों (प्याज, आलू और टमाटर) की कीमतों, उत्पादन, उपज और आयात और निर्यात परिदृश्य की समीक्षा की गई।

4. **मूल्य स्थिरीकरण कोष:**

4.1 वर्ष 2021-22 के दौरान मसूर के आयात के लिए तीसरी किश्त के रूप में नेफेड को 200 करोड़ रुपये जारी किए गए।

4.2 पीएमसी के सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत मार्च 2022 में असम सरकार को 3,98,000/- रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

4.3 राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों के अनुसार, फरवरी, 2022 की तुलना में मार्च, 2022 माह के लिए मूल्य रुझान **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

5. <u>व्यवसाय करने की सुगमता:</u>

विधिक मापविज्ञान (पैक में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 को 28 मार्च, 2022 के सा.का.नि. 226 (अ) द्वारा निम्नलिखित को प्रभावी करने के लिए संशोधित किया गया था:

- सा.का. नि 779 (अ) दिनांक 02 नवंबर 2021 द्वारा विधिक मापविज्ञान (पैक में रखी वस्तुएं) संशोधन नियम, 2021 के प्रारंभ होने की तिथि को बढ़ाकर 01 अक्टूबर, 2022 कर दिया गया है।
- अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ या स्पिरिट युक्त पेय पदार्थ को उक्त नियमों से इकाई बिक्री मूल्य घोषित करने से छूट दी गई है क्योंकि ये संबंधित राज्य की आबकारी नीतियों के अंतर्गत आते हैं।
- इकाई बिक्री मूल्य घोषित करने के तरीके में सरलीकरण। जहां अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) इकाई बिक्री मूल्य के समान है, वहां इकाई बिक्री मूल्य घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- व्यवसाय करने की सुगमता के लिए नियम 33 के उप-नियम (2) और दूसरी अनुसूची का लोप किया गया है।

6. **एसीसी निर्देश:** सुश्री रूपा दत्ता के कार्यमुक्त होने के बाद वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार का पद 17.07.2021 से रिक्त है। इस पद के लिए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण होने के नाते आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इस पद को भरा जाना चाहिए। अत:, विभाग के पास कोई एसीसी निदेश लंबित नहीं है।

अनुलग्नक-I

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें – एक माह के रूझान :

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा मुख्य रूप से मोबाइल ऐप के माध्यम से दैनिक आधार पर दी गई सूचना के अनुसार देश भर के 179 केन्द्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया जाता है तथा फरवरी, 2022 की तुलना में मार्च, 2022 के महीने के लिए संकलित किए गए औसत खुदरा मूल्य का विवरण निम्नलिखित है:-

आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य (रु/कि.ग्रा.)

क्रम सं.	वस्तु	मार्च, 2022 (नवीनतम)	फरवरी, 2022 (विगत माह)	अंतर (रु में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	36	36	0
2	गेहूं	29	28	1
3	आटा	32	32	0
4	चना दाल	75	75	0
5	तूर दाल	103	103	0
6	उड़द दाल	105	106	-1
7	मूंग दाल	102	102	0
8	मसूर दाल	97	97	0
9	चीनी	41	41	0
10	दूध (प्रति लीटर)	51	50	1
11	मूँगफली का तेल	185	179	6
12	सरसों का तेल	192	189	3
13	वनस्पति	152	141	11
14	सोया तेल	160	148	12
15	सूरजमुखी का तेल	176	162	14
16	पॉम ऑयल	146	131	15
17	गुड़	48	48	0
18	खुली चाय	286	287	-1
19	नमक का पैक	19	19	0
20	आलू	21	20	1
21	प्याज	32	35	-3
22	टमाटर	23	27	-4

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग